

बिहार सरकार  
विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/स्था0(ए0सी0पी0)-21-01/2011/169/जे0, पटना, दिनांक-17.12.12

विभागीय कार्यालय आदेश सं0-72जे0 दिनांक-15.05.2012 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए विधि विभाग में विभागीय स्तर पर स्थापना समिति का गठन किया जाता है। यह समिति विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय स्क्रीनिंग समिति तथा नियुक्ति हेतु विभागीय चयन समिति का भी- कार्य करेगी। उक्त समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी को पदेन मनोनयन किया जाता है :-

1. विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार - अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार - सदस्य
3. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) - सदस्य
4. उप सचिव(बिहार सचिवालय सेवा), विधि विभाग, बिहार - सदस्य
5. अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी - सदस्य
6. उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना), विधि विभाग, बिहार - सदस्य
7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/  
अनुसूचित जनजाति के मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य

इस हद तक पूर्व में निर्गत तत्संबंधी आदेश संशोधित किया जाता है।  
यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक .....8999/जे0 पटना, दिनांक 19.12.12

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी कर्मचारियों, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

(विनोद कुमार सिन्हा)  
सरकार के सचिव, बिहार।  
17/12/12